

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
दुर्गावती बाँध प्रमण्डल-2, भीतरीबाँध।

E-mail – eeddam2@gmail.com

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)-01/2026-27

पत्रांक-...../भीतरीबाँध,

दिनांक-...../2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दुर्गावती बाँध प्रमण्डल-2, भीतरीबाँध के अन्तर्गत प्रमण्डलाधीन योजनाओं के अनुश्रवण, निरीक्षण एवं सम्पर्क कार्य उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, दुर्गावती बाँध अवर प्रमण्डल-5 एवं 7, भीतरीबाँध हेतु 02 (दो) अदद अवातानुकूलित वाहन (बोलेरो/समकक्ष वाहन, चालक सहित एवं ईंधन रहित) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक- 02.05.2026
2. कोटेशन जमा करने की अवधि : दिनांक- 15.05.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान : कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँध प्रमण्डल-2, भीतरीबाँध के कार्यालय में।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक - 15.05.2026 को 3:30 बजे अपराह्न तक।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँध प्रमण्डल-2, भीतरीबाँध (कैम्प-चेनारी)  
मोबाईल नं०- 7463889418

तकनीकी निविदा शर्त

1. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, वैद्य परमिट, बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
2. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी0 एस0 टी0, पैन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
3. निविदादातों का वित्तीय दर निम्नांकित है।

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	ईंधन रहित मासिक भाड़ा
1	बोलेरो या समकक्ष वाहन दो अदद	20,500/- प्रति वाहन

नियम एवं शर्तें

1. भाड़े पर एक वाहन 01 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए और दूसरा वाहन 01 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए लिया जायेगा।
2. वाहन मॉडल 2021 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ-सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
4. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।





पत्रांक- 297 / भीतरीबाँध,

दिनांक- 02-05-2026

प्रतिलिपि :- सूचना एवं जन सर्मर्पक पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

*dekhendra Kumar*  
02/05/26

कार्यपालक अभियंता

दुर्गावती बाँध प्रमण्डल-2, भीतरीबाँध।

*Amrit*  
02/05/26

1

वं

न